



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2019/कार्तिक 17, 1941

No. 653]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2019/KARTIKA 17, 1941

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 8 नवंबर, 2019

**सा.का.नि. 830(अ).**—केंद्रीय सरकार अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) आदेश, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् -

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) संशोधन आदेश, 2019 कहा जाए।  
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) आदेश, 2005, में -  
(क) खंड 5 में उपखंड (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:

“(1) जो कोई भी मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल के विपणन और उसकी बिक्री के लिए प्राधिकार लेने का इच्छुक है, वह अनुसूची II में दिए गए आवेदन प्ररूप में केंद्रीय सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ वेतन और लेखा अधिकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली को देय विनिर्दिष्ट शुल्क भी चेक या मांग ड्राफ्ट के रूप में संलग्न होगा;

(2) उपखंड (1) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र की जांच के बाद, केंद्रीय सरकार यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी और अन्य भुगतानों के संबंध में उसके द्वारा निर्दिष्ट अनुसार व्यौरों से समाधान होने पर, ऐसे प्राधिकार की निबंधन एवं शर्तों को दर्शाते हुए मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल का प्राधिकार जारी कर सकेगा।”

- (ख) अनुसूची II के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:

**"अनुसूची-II****[देखें खंड 5(1)]****आवेदन प्ररूप****(मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की बिक्री का प्राधिकार जारी करने के लिए)**

**टिप्पण:** कृपया आवेदन करने से पहले पात्रता, निबंधन एवं शर्तों और आवेदन शुल्क जैसे विवरण के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के तारीख 08.11.2019 का संकल्प सं. पी-12029 (11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी देखें। आवेदक आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पन्ना का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई मद आवेदक पर लागू नहीं होती, तो स्पष्ट रूप से "लागू नहीं" के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,

भारत सरकार, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली।

1. **आवेदक का नाम** (स्पष्ट अक्षरों में):
2. **फर्म का प्रकार** (जो लागू न हो उसे काट दें):
  - (क) पब्लिक लिमिटेड कंपनी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / भागीदारी फर्म / स्वत्वधारिता / अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)।
  - (ख) समावेशन का वर्ष:
3. **पता:**
  - (क) पंजीकृत कार्यालय:
  - (ख) विपणन कार्यालय:
  - (ग) वर्तमान कारबार का स्वरूप:
4. (क) नाम, पते, माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन), स्थायी खाता संख्या (पैन) सभी निदेशकों / भागीदारों / स्वत्वधारी(रों) के टेलीफोन नंबर।
  - (ख) संपर्क व्यक्ति का नाम, पता, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर
5. क्या निम्नलिखित के प्राधिकार के लिए आवेदन कर रहे हैं (कृपया उपयुक्त बॉक्स पर सही का निशान लगाएं):
  - खुदरा** कारबार; या
  - थोक कारबार; या
  - खुदरा और थोक कारबार दोनों।
6. खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या जिसके लिए खुदरा कारबार प्राधिकार की मांग की गई है:
7. **निवल मूल्य (करोड़ रुपए में):**
  - (क) पहला पूर्ववर्ती वर्ष:                      रु.                      करोड़
  - (ख) दूसरा पूर्ववर्ती वर्ष:                      रु.                      करोड़
  - (ग) तीसरा पूर्ववर्ती वर्ष:                      रु.                      करोड़

**टिप्पण:** कृपया पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक विवरण संलग्न करें। नई कंपनी के मामले में, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी का वर्तमान निवल मूल्य प्रमाणित कराते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

### 8. विपणन की योजना के ब्यौरे :

- (क) विपणन किए जाने वाले उत्पादों के प्रदाय का स्रोत;
- (ख) स्थापित की गई टैकेज और अन्य अवसंरचना या स्थापित करने का प्रस्ताव करना और उनके भंडारण का ब्यौरा देना;
- (ग) डिपो और खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए उत्पादों के परिवहन के साधन;
- (घ) स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या और अवस्थान और उनके भंडारण और वितरण क्षमता का विवरण;
- (ङ.) दूरस्थ क्षेत्र और गैर-दूरस्थ क्षेत्र खुदरा बिक्री केंद्रों को अलग से स्थापित करने के लिए वर्ष-वार योजना;
- (च) विपणन योजना के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की कुल मात्रा और किस्म;
- (छ) ग्राहकों की शिकायतों के निवारण का ब्यौरा;
- (ज) विपणन और वितरण कार्यालयों का ब्यौरा;
- (झ) विपणन के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और महिलाओं और पूर्व सैनिकों को अधिक रोजगार प्रदान करने के ब्यौरे; और
- (ञ) अपने प्रस्तावित खुदरा बिक्री केंद्रों में नई पीढ़ी के कम से कम एक वैकल्पिक ईंधन के विपणन हेतु लिए सुविधाएं स्थापित करने की योजनाएं।

**टिप्पण:** ऊपर उल्लिखित ब्यौरों के संबंध में समर्थक दस्तावेजों को संलग्न किया जाए, ऐसा न करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

### 9. दूरस्थ क्षेत्र के बाध्यताओं आदि से संबंधित अनुपालन का ढंग:

- (क) दूरस्थ क्षेत्र के बाध्यताओं के अनुपालन के लिए चयनित विकल्प:

**विकल्प 1 (अग्रिम भुगतान)**

**विकल्प 2 (बैंक गारंटी प्रस्तुत करना)**

- (ख) यदि विकल्प 2 चयनित है, तो:

- (i) समय-सीमा सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या;
- (ii) दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले अन्य प्रस्तावित विपणन अवसंरचना;
- (iii) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)।

### 10. संदत्त किए गए आवेदन शुल्क का विवरण:

- खुदरा कारबारों के लिए: पच्चीस लाख रुपए।
- थोक कारबारों के लिए: पच्चीस लाख रुपए।
- खुदरा और थोक कारबारों दोनों के लिए: पचास लाख रुपए।

**11. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी प्राधिकारी द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या दंड या दांडिक कार्यवाही आरंभ की गई है? यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।**

**घोषणा**

प्रमाणित किया गया है कि उपर्युक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और इस आवेदन के साथ संलग्नक और विवरण के रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही अर्थों में व्यक्त की गई है और यदि यहां दिया गया कोई भी कथन किसी भी समय गलत पाया जाता है, तो मैं विधि के उपाबंधों के अधीन कार्रवाई के लिए मैं उत्तरदायी हूँगा।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर)

नाम:

पदनाम:

तारीख:

**टिप्पण:** यदि किसी भी समय आवेदन प्ररूप में किसी भी दुर्व्यपदेशन या सामग्री के ब्यौरों को छिपाया गया पाया जाता है, तो कंपनी के आवेदन या प्राधिकार को रद्द या प्रतिसंहित कर दिया जाएगा और इसके लिए सरकार में जमा कराई गई या भुगतान की गई बैंक गारंटी(गारंटियों) सहित पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी, जिसे संबंधित सरकार द्वारा भुना लिया जाएगा।'

[फ़ा. सं. पी-11013/1/2015-डिस्ट.]

आशीष चटर्जी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 19 दिसंबर, 2005 के सा.का.नि. 729(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था, और तत्पश्चात् इसमें तारीख 12 जनवरी, 2007 के सा.का.नि. 18(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008 के सा.का.नि. 1(अ.), 6 मई 2014 के सा.का.नि. 352(अ.), तारीख 10 अगस्त, 2015 के सा.का.नि. 621(अ), और तारीख 29 जून, 2017 के सा.का.नि. 728(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2019

**G.S.R. 830(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to further amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, namely—

1. (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005,—

(a) for sub-clauses (1) and (2) in clause 5, the following sub-clauses shall be substituted, namely:

“(1) Whosoever desires to secure authorisation to market and sell motor spirit and high speed diesel, shall submit an application to the Central Government in the application form given in Schedule II alongwith the fee specified therein either by cheque or demand draft in favour of the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, payable at New Delhi.

(2) After scrutiny of the application form referred to in sub-clause (1), the Central Government may, if it is satisfied with the details furnished by the applicant, after requiring the applicant to furnish bank guarantee and other payments as specified by it, issue authorisation to market motor spirit and high speed diesel indicating the terms and conditions of such authorisation.”;

(b) for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:

**“SCHEDULE-II****[See clause 5(1)]****APPLICATION FORM****(For issue of authorisation to market motor spirit and high speed diesel)**

**Note:** Please refer to Ministry of Petroleum and Natural Gas Resolution No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dt. 08.11.2019 for details such as eligibility, terms and conditions and application fees before applying. The applicant can use additional sheets to provide requisite information. If any item is not applicable to the applicant, the same may be clearly mentioned as “Not applicable”.

To,  
The Joint Secretary,  
Ministry of Petroleum and Natural Gas,  
Government of India, Shastri Bhawan,  
New Delhi.

1. **Name of applicant** (in capitals):
  2. **Type of firm** (strike out whichever is not applicable):
    - (a) Public Limited Company/ Private Limited Company/ Partnership firm/ Proprietorship/ Others (please specify).
    - (b) Year of incorporation:
  3. **Address:**
    - (a) Registered Office:
    - (b) Marketing Office:
    - (c) Nature of present business:
  4.
    - (a) Names, addresses, Goods and Service Tax Identification Number (GSTIN), Permanent Account Number (PAN) and telephone numbers of all Directors/ Partners/ Proprietor(s).
    - (b) Name of contact person, address, email Id and telephone numbers
  5. **Whether applying for authorisation for** (please tick the appropriate box):
 

**Retail business; or**

**Bulk business; or**

**Both Retail and Bulk business.**
  6. **Number of retail outlets for which retail business authorisation is sought:**
  7. **Net worth (in INR Crores):**

(a) 1 <sup>st</sup> preceding year:	Rs.	crore
(b) 2 <sup>nd</sup> preceding year:	Rs.	crore
(c) 3 <sup>rd</sup> preceding year:	Rs.	crore
- Note:** Please attach audited annual statements for the last three financial years. In case of a new entity, a certificate from a Chartered Accountant certifying the entity’s present net worth is to be provided.
8. **Details of scheme of marketing:**
    - (a) The source of supply of products to be marketed;
    - (b) tankage and other infrastructure established or proposed to be established and details of their storage;
    - (c) means of transportation of products to depots and to retail outlets;
    - (d) the number and locations of retail outlets proposed to be established and details of their storage and dispensing capacity;
    - (e) year-wise plan for setting up remote area and non-remote area retail outlets separately;
    - (f) the total quantum and type of products to be covered under the marketing scheme;
    - (g) details of redressal of customer complaints;
    - (h) details of marketing and distribution offices;
    - (i) details regarding use of new technologies for marketing, encouraging digital payments and providing more employment to women and ex-servicemen; and
    - (j) plans for installing facilities for marketing at least one new generation alternate fuels at their proposed retail outlets

**Note:** Supporting documents with respect to the aforementioned details are to be enclosed, failing which the application is liable to be rejected.

**9. The mode of compliance relating to remote area obligations etc.:**

(a) Option selected for compliance towards remote area obligations:

**Option 1 (Upfront payment)**

**Option 2 (Submission of bank guarantee)**

(b) If Option 2 selected, then:

(i) Number of retail outlets proposed to be set up in remote areas including the timelines;

(ii) Other marketing infrastructure proposed to be set up in remote areas;

(iii) Others (please specify).

**10. Details of application fee, whether paid:**

for retail business: Twenty five lakh rupees.

for bulk business: Twenty five lakh rupees.

for both retail and bulk business: Fifty lakh rupees.

**11. Whether any disciplinary action or penalty or criminal proceedings have been initiated against the entity by any authority during the last five years? If yes, full details thereof may be provided.**

**DECLARATION**

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief and the information as annexures and statements accompanying this application are correct, complete and truly stated and if any statement made herein is found to be incorrect at any point of time, I shall be liable for action under the provisions of law.

(Signature and Seal of authorized person)

Name:

Designation:

Date:

**Note:** In case of any misrepresentation or concealment of material details in the application form, detected at any point of time, the application or authorisation of the entity is liable to be rejected or revoked and all or any amount deposited or paid by it to the Government shall stand forfeited, including the bank guarantee(s), which shall be encashed by that Government.'

[F. No. P-11013/1/2015-Dist.]

ASHISH CHATTERJEE, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 19<sup>th</sup> December, 2005 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 18(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 2007, G.S.R. 1(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2008, G.S.R. 352(E), dated the 6<sup>th</sup> May, 2014, G.S.R. 621(E), dated the 10<sup>th</sup> August, 2015 and G.S.R. 728(E), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017.